दिल्ली में स्मार्ट सिटी/हब, मेघा हाउसिंग, व्यावसायिक और सामाजिक-सांस्कृतिक परियाजनाओं के विकास हेतु वास्तुकार/वास्तु परामर्श(कंस्लटेंसी) /फर्मों को पैनलबद्ध करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.)

1. <u>उद्देश्य-</u>

अन्य अंतर्राष्ट्रीय राजधानी शहरों के समान दिल्ली को एक मॉडल शहर के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार के स्मार्ट सिटी पहल को आगे बढ़ाने हेतु और दिल्ली के विकास के लिए नए और आधुनिक विचारों को अपनाने हेतु, दि.वि.प्रा. पूरी दिल्ली में व्याप्त स्मार्ट सिटी/हब, आवास व्यवस्था, व्यावसायिक और सामाजिक-सांस्कृतिक परियोजनाओं को विकसित करने के लिए वास्तुकार/वास्तु परामर्श फर्मों को पैनलबद्ध करना चाहता है।

2. <u>सामान्य निदेशः-</u>

2.1 वास्तुकला विभाग, दि.वि.प्रा. स्मार्ट हब, सिटी, मेघा हाउसिंग, व्यावसायिक और सामाजिक-सांस्कृतिक परियोजनाओं की योजना अवधारणा से लेकर उनके कार्यान्वयन और सफलतापूर्वक उन्हें पूरा करने तक के उत्तरदायित्व के साथ इच्छुक वास्तुकार/वास्तु परामर्श फर्मों को पैनलबद्ध करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।

2.2 इस परियोजना को पूरा होने तक वास्तु संरचनात्मक एच.वी.ए.सी., एम.ई.पी., भू-दृश्यांकन, शहरी डिज़ाइन और यातायात परिवहन आदि के लिए अपेक्षित परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु दि.वि.प्रा. वास्तुकार/वास्तु परामर्श फर्मों का पैनल तैयार करना चाहता है। आवेदन करने वाली फर्म वास्तु संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिए आंतरिक रूप से सक्षम होनी चाहिए। तथापि, विशेषज्ञ सेवाओं जैसे संरचनात्मक एच.वी.ए.सी., एम.ई.पी., भू-दृश्यांकन, शहरी डिज़ाइन और यातायात परिवहन आदि के लिए आउट सोर्स किया जा सकता है।

2.3 सभी दस्तावेज मुख्य वास्तुविद्, दि.वि.प्रा. कार्यालय, 8वीं मंजिल, विकास मीनार, नई दिल्ली-110001 में दिनांक 30.7.2019 को 18.00 बजे तक जमा करने होंगे।

2.4 दस्तावेज प्राप्त करने के निर्धारित समय और तिथि के बाद जमा किये जाने वाले दस्तावेजों को अस्वीकार/पर विचार नहीं किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

2.5 रूचि की अभिव्यक्तियां मूल्यांकन की शर्त पर स्वीकार की जाएंगी और केवल उन वास्तुकार/वास्तु फर्मों को सूचीबद्ध किया जाएगा जिनके दस्तावेज पूर्ण रूप से सही पाये जाएंगे। कृपया यह नोट किया जाए कि इस रूचि की अभिव्यक्ति के लिए कार्य देने या दस्तावेज़ों की लागत वहन करने के लिए दि.वि.प्रा. पर कोई बाध्यता नहीं होगी।

2.6 दि.वि.प्रा. बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा सभी रूचि की अभिव्यक्ति को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार रखता है तथा दि.वि.प्रा. इस निर्णय के कारण आने वाले किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

2.7 इस रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई) पर किसी भी स्पष्टीकरण को मुख्य वास्तुकार कार्यालय, आठवीं मंजिल, विकास मीनार, फोन नं. 23379031 ई-मेल आई.डी. chiefarchitect@dda.org.in से लिखित रूप में अथवा सीधे प्राप्त किया जा सकता है।

2.8 दि.वि.प्रा. क्रिडेंशियल/क्लेम के वास्तविक सत्यापन हेतु फर्मों के प्रतिष्ठान का दौरा कर सकता है।

2.9 वास्तुकारों/वास्तुकला फर्मों के पास स्मार्ट हब/सिटी मेघा हाउसिंग, व्यावसायिक और सामाजिक-सांस्कृतिक परियोजनाओं के लिए डिज़ाइन करने और परामर्श संबंधी सेवाएँ देने में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव और जानकारी होनी चाहिए। निष्पादित की गई परियोजनाओं में से एक की निर्माण लागत निम्नलिखित श्रेणी में होनी चाहिए :

(क) 100 करोड़ रूपये और अधिक

(ख) 300 करोड़ रूपये और अधिक

(ग) 600 करोड़ रूपये और अधिक

3 <u>प्रस्ताव का क्षेत्र</u>:-

3.1 प्रस्ताव के क्षेत्र में दि.वि. प्रा. की आवश्यकताओं, दि.मु.यो.-2021 के मानकों, यू.बी.बी.एल.-2016 और दि.वि.प्रा. से इसके अनुमोदन के आधार पर स्मार्ट हब/शहर/मेगा आवास, व्यावसायिक और सामाजिक- सांस्कृतिक परियोजनाओं की संकल्नात्मक ड्राइंग तैयार करना शामिल होगा ।

3.2 वास्तुकार/वास्तुकला फर्म को दि.वि.प्रा. द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर सभी सांविधिक निकायों जैसे दिल्ली डी.यू.ए.सी., डी.एफ.एस., ए.ए.आई., पर्यावरण आदि का अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

Scanned by CamScanner

3.3 वास्तुकार/वास्तुकला फर्म को सांविधिक निकायों के अनुमोदन के आधार पर विस्तृत कार्यात्मक ड्राइंगे तैयार करनी होगी और विस्तृत लागत अनुमान तैयार करना होगा ।

3.4 संरचनात्मक, भू-दृश्य, एच.वी.ए.सी., एम.ई.पी. आदि जैसी सेवा ड्राइंगे तैयार करनी होगी जो कि दि.वि.प्रा. द्वारा यथा अनुमोदित परियोजना के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित है ।

3.5 परियोजना के कार्य-निष्पादन हेतु ठेकेदारों को नियुक्त करने हेतु निविदा दस्तावेज तैयार करना ।

3.6 यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना का कार्यान्वयन वास्तुकारों/वास्तुकला फर्म द्वारा ठेकेदार को जारी ड्रांइगों के अनुरूप हो रहा है, नियमित अंतराल पर स्थल का दौरा और निरीक्षण करना ।

3.7 सांविधिक निकायों से समापन प्रमाणपत्र प्राप्त करना और यथा निर्मित ड्राइंगों को जमा करना ।

4. **<u>जमा किए जाने वाले दस्तावेज:-</u>**

4.1 फर्म/प्रोपराइटर के मुख्य सदस्य वास्तुकार परिषद, भारत से पंजीकृत होने चाहिए। वास्तुकार परिषद, भारत के वैध पंजीकरण के स्व-अनुप्रमाणित प्रतिलिपि जमा की जानी है और स्मार्ट हब/सिटी, मेगा हाउसिंग, व्यावस्यिक अथवा सामाजिक सांस्कृतिक परियोजनाओं की डिजाइनिंग में कम-से-कम 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है।

4.2 डिजाइनिंग में कम से कम 5 वर्ष अनुभव का साक्ष्य और स्मार्ट हब/सिटी, मेगा हाउसिंग, व्यावसायिक, सामाजिक-सांस्कृतिक परियोजनाओं के लिए परामर्शी संवाएं प्रदान करना अपेक्षित है।

4.3 ई.ओ.आई. में वास्तुकारों/वास्तुशिल्पीय फर्मों के नाम, पता और व्यापार के स्थान और स्टाफ का ब्यौरा तथा दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उपलब्ध अवसंरचना, होना आवश्यक है तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरी के द्वारा फर्म के कानूनी नाम के साथ आवश्यक रूप से हस्ताक्षर होना चाहिए।

Scanned by CamScanner

4.4 ई.ओ.आई. से संबंधित रूचि रखने वाले वास्तुकारों/वास्तुशिल्पीय फर्मों को अपने प्रत्यय पत्रों (क्रिडेन्शियल्स) और व्यावसायिक क्षमताओं को प्रमाणित करने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ अपेक्षित दस्तावेजों को जमा करना है।

4.5 दि.वि.प्रा. के पास प्रस्तुत किसी/सभी विवरणों को सत्यापित करने का अधिकार है। यदि किसी भी स्तर पर गलत/भ्रामक सूचना दिए जाने का मामला प्रकाश में आता है तो अभिरूचि की अभिव्यक्ति को रद्द/एम्पैनलमेंट को निरस्त कर दिया जाएगा और वास्तुकारों/वास्तुकला फर्मों को दि.वि.प्रा. द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

5. **<u>एमपैनलमेंट की अवधि :</u>**

5.1 वास्तुकारों/वास्तुकला फर्मों द्वारा सम्पन्न की जाने वाली परियोजना की लागत के आधार पर पैरा 2.9 में उल्लिखित श्रेणियों के अनुसार दि.वि.प्रा द्वारा एक पैनल गठित किया जाए ।

5.2 पैनल 5 वर्ष के लिए प्रवृत्त होगा ।

5.3 दि.वि.प्रा. अपने विवेक के अनुसार 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व पैनल को जारी रख सकता है/आगे बढ़ा सकता है अथवा समाप्त कर सकता है अथवा किसी भी एकल एमपैनल्ड वास्तुकार/फर्म को बिना कोई कारण बताए हटा सकता है और इसके लिए वास्तुकार/फर्म कोई दावा नहीं करेंगे ।

6. **<u>चयन की पद्धति:-</u>**

6.1 जांच और प्रारम्भिक परीक्षा के पश्चात उक्त पैरा 2.9 में उल्लिखित श्रेणियों के अनुसार पैनल के गठन हेतु वास्तुकारों/वास्तुकला फर्मों का चयन किया जाएगा।

(नोट: भाषा में विसंगति पाये जाने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा)

Scanned by CamScanner